Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.471
Volume - 6, Issue - 3, March - 2023 Publication Date: 31/03/2023

DOIs:10.2018/SS/202303010 --:-- Research Paper / Article / Review

अनिवार्य सीएसआर से रोल बैक ऑफ द स्टेट अवधारणा की सार्थकता

सांगा राम सुथार
शोधार्थी : लोक प्रशासन विभाग,
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान
Email : sutharsanga1993@gmail.com

सारांश (Abstract) : सर्वप्रथम मानव एकाकी एवं स्वाधीन था | लेकिन जब से मानव समुदाय का उद्भव हुआ, तब से मानव पराधीन हो गया | यद्यपि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है |

ए. किंग "एक समय था, जब मनुष्य ने संसार को आदेश देने के लिए ईश्वर की ओर देखा | उसके बाद उसने बाजार की ओर अब वह सरकार की ओर देखता है |"[1]

आज सीएसआर अवधारणा के माध्यम से पुनः व्यक्ति को बाजार के अधीन होते हुए देखा जा रहा है | सीएसआर अवधारणा सरकार की जनकल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति का सहगामी साधन बन गया है | आज कहीं न कहीं व्यक्ति को पुनः अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार अर्थात् निजी उद्यमों से अपेक्षा रखनी पड़ रही हैं | शोध आलेख में सीएसआर अवधारणा को सतत विकास लक्ष्य एवं जनकल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में साबित करने का प्रयास किया गया | सन 2014-15 और 2018-19 के सीएसआर खर्च एवं सरकारी बजट खर्च के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए सीएसआर खर्च के वृद्धि दर को दर्शाया गया है |

शोध आलेख में सीएसआर अवधारणा के बढ़ते प्रभावात्मक स्वरूप से राज्य की घटती भूमिका का वर्णन किया गया है | इसे ही रोल बैक ऑफ द स्टेट अर्थात पुनश्च: राज्य कहा जाता है | यद्यपि राज्य के कार्यों की प्रकृति दो प्रकार की होती हैं- एक अनिवार्य कार्य, दूसरा ऐच्छिक कार्य | सीएसआर अवधारणा से राज्य कहीं न कहीं अनिवार्य कार्य तक ही सीमित हो जाने की संभावना है | राज्य के ऐच्छिक कार्य, जिन्हें कल्याणकारी कार्य कहा जाता है, बाजार पर निर्भर होते जा रहे हैं |

Key words - कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कांसेप्ट ऑफ रोल बैक ऑफ द स्टेट, बजट, एसडीजी. |

1. प्रस्तावना :

जब से मानव का मानव समुदाय के रूप में अस्तित्व आया, मानव समुदाय लोगों का सभ्य और अनुशासित संगठन है | इसी मानव समुदाय को समाज या राज्य कहा जाता है | यद्यपि शाब्दिक रूप से दोनों में अंतर हैं, लेकिन भावार्थ में समाज और राज्य की अवधारणा समानार्थी है | राज्य को भूभाग, जनसमुदाय, सरकार और संप्रभुता आदि तत्वों के आधार पर परिभाषित किया जाता है | राज्य नामक अवधारणा का जन्म कब, कैसे, कहां हुआ ? इसका दो शब्दों में जवाब देना अपर्याप्तता या अपूर्णता है | राज्य नामक अवधारणा के उदय के संबंध में कई सिद्धांतों ने हमारी चिंतन प्रक्रिया को विराम दिया | राज्य उत्पत्ति संबंधी देवीय सिद्धांत के अनुसार राज्य मानव निर्मित नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा निर्मित एक संस्था है, जिसमें एक राजा होता है, जो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, जनता को राजा के आदेशों की पालना अपना धार्मिक कर्तव्य समझकर करनी चाहिए | राजा जनता के प्रति अनुत्तरदायी होता है | राज्य उत्पत्ति संबंधी अन्य सिद्धांत - प्राकृतिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, बल सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, मातृक सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत आदि | राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत को अधिक महत्व दिया है | इन सिद्धांत कारों का मानना है, कि राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है | इसके निर्माण में कई तत्वों का समयानुसार योगदान रहा | सामान्यतः राज्य निर्माण में निम्न तत्वों का वर्णन मिलता है- रक्त संबंध, धर्म, शक्ति या बल, आर्थिक हित और राजनीतिक जागृति आदि |

यद्यपि सभी सिद्धांतों ने राज्य उत्पत्ति के साथ इसके कार्यों का वर्णन भी किया है | लेकिन राज्य के कार्यों को लेकर सभी सिद्धांत और विचारक एकमत नहीं है | कुछ विचारकों का मानना है, कि राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास, स्वतंत्रता, समानता समस्त अधिकारों के उपभोग का एक महत्वपूर्ण साधन है | यानी कि राज्य के अभाव में सभ्य और अनुशासित मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती हैं | राज्य को कल्याणकारी माना गया | जबकि दूसरी ओर विचारकों के अनुसार राज्य नकारात्मक संस्था है |

जो व्यक्ति को अपनी पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है | इस प्रकार राज्य की कार्य प्रकृति के आधार पर राज्य की कई स्वरूपों का समयानुसार उद्भव होता है | सर्वप्रथम अहस्तक्षेपवादी राज्य, जिसे पुलिस राज्य भी कहा जाता है, में राज्य के केवल अनिवार्य कार्यों का उल्लेख है | समाजवादी राज्य, जिसमें राज्य/समाज को साध्य तथा व्यक्ति को इसके विकास का

साधन माना जाता है | वही लोकतंत्रवादी राज्य, जिसमें व्यक्ति को साध्य तथा राज्य/समाज को व्यक्ति के कल्याण का साधन माना जाता है | लोक कल्याणकारी राज्य स्वरूप, जिसमें राज्य के अनिवार्य कार्यों के साथ-साथ ऐच्छिक कार्यों को किया जाता है | लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्यों की मात्रा असीमित होती है | क्योंकि कल्याण का सर्वमान्य कोई दायरा नहीं होता है | बीसवीं शताब्दी में लोकतंत्रवादी और समाजवादी राज्य का प्रचलन था | बीसवीं सदी के मध्यार्थ से वर्तमान तक लोक कल्याणकारी राज्य की विधमानता है | वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को अपना रखा है | लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति को समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु मानकर उसका सर्वांगीण या चहुंमुखी विकास किया जाता है | यद्यपि लोक कल्याणकारी राज्य का अस्तित्व लोकतंत्रात्मक राज्य में ही होता है लेकिन जहां लोकतंत्रवादी राज्य में व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे अधिकारों को देने की बात की जाती हैं| वही लोक कल्याणकारी राज्य में इससे दो कदम आगे बढ़कर व्यक्ति के इन अधिकारों की साथ साथ न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान को पूरा किया जाता है | इसमें राज्य को केवल साधन मात्र माना जाता है |

लोक कल्याणकारी राज्य रूपी खेल के मैदान में सरकार खिलाड़ी की भांति होती हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास से संबंधित समस्त आशाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें राज्य से रखता है | लेकिन यह दौर 21वीं सदी आते-आते थम सा जाता हैं | यह बात 1990 के दशक की हैं | वैश्विक स्तर पर आर्थिक एवं शासन क्षेत्र में परिवर्तन ब्रिटिश लोह महिला मार्गरिट थैचर और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के प्रयासों के परिणाम स्वरुप आता है | इस दौर को एलपीजी अर्थात् उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है | उदारीकरण से अभिप्राय आयात निर्यात शुल्क, सीमा शुल्क, कोटा परमिट लाइसेंस आदि नियम कानूनों में लचीलापन या उदारता से हैं | वहीं निजीकरण से अभिप्राय सरकारी उद्योगों को आंशिक या पूर्णत: निजी हाथों में सौंपना है | उसी प्रकार वैश्वीकरण से अभिप्राय सामान्य अर्थों में एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने से हैं| अर्थात् दो राज्यों या देशों के बीच पूंजी, तकनीकी, श्रम और वस्तु का निर्बाध आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण/भूमंडलीकरण है |

एलपीजी युग में राज्य की भूमिका में परिवर्तन आया | यद्यपि राज्य के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं आया हैं | राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन सरकार हैं और सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन लोक प्रशासन है | एलपीजी के इस दौर में सरकार की भूमिका में परिवर्तन आया है| जहां पहले जनहित में स्वयं सरकार कार्य करती थी | वही आज सरकार जनहित में लोक कल्याणकारी कार्यों का विनियमन (रेगुलेशन) करती हैं | अर्थात् सरकार की भूमिका खिलाड़ी के बजाय अंपायर की हो गई है | सरकार जनहित में स्वयं कार्य करने के बजाय विभिन्न सार्वजनिक निगमों, निजी उद्योगों द्वारा जनहित में किए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण, विनियमन करती हैं | **फ्रीमैन** के अनुसार "वह सरकार सबसे अच्छी हैं, जो सबसे कम शासन करती हैं |" 1990 के दशक में लोक प्रशासन का स्वरूप भी नवीन लोक प्रबंध कहलाने लगा | (1988 के मिन्नोब्रुक 2 सम्मेलन के परिणाम स्वरुप) जिसमें लोक प्रशासन की कार्य पद्धति निजी क्षेत्र के कार्य पद्धति की भांति बन गई | एलपीजी के युग में सरकार के रेगुलेटिंग भूमिका के परिणाम स्वरूप रोल बैक ऑफ द स्टेट (Role back of the state) अर्थात् पुनश्च: राज्य की अवधारणा का उदय हुआ | बहुत से कार्य सार्वजनिक या निजी उपक्रमों द्वारा संपन्न किए जाने | लेकिन प्रश्न यह है, कि जब से कंपनी अधिनियम 2013 से अनिवार्य सीएसआर अवधारणा का उदय हुआ | क्या इसने रोल बैक ऑफ द स्टेट अवधारणा को ओर अधिक ठोसता प्रदान की ? क्या सीएसआर से राज्य के राजस्व से होने वाले सार्वजनिक खर्चों में कमी आयी ? क्या अब व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निजी उपक्रमों की ओर देखेगा ? क्या सीएसआर से सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिली है ? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर ही रोल बैक ऑफ द स्टेट की अवधारणा को सार्थकता प्रदान करते हैं |

1.1. सीएसआर की अवधारणा :

सामान्यतः सीएसआर शब्द नया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 में आया | लेकिन यह अवधारणा/विचार/भाव मौर्यकालीन समय से देखी जाती है | यह अवधारणा गिव एंड टेक (Give and take) भाव पर टिकी हुई है, यानी कि प्रकृति से जो लेते हैं, उसे वापस लौटाना होता है | मौर्यकालीन शासन में व्यापारिक इकाइयों को नैतिकता और धर्म के साथ व्यापार करने की व्यवस्था प्रचलित थी | गांधीजी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत, जिसके अनुसार मनुष्य को अपने आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए | अर्थात् आवश्यकता से अधिक धन को ट्रस्ट में दे देना चाहिए, जो मानवकल्याण में काम आ सके |

इस प्रकार सीएसआर अवधारणा परोपकारी और दान के महान कार्य से संबंधित हैं | प्राचीनकाल से ही मानव समुदाय में धर्म अर्थात् नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मानवीय सेवा भाव को ईश्वरी सेवा माना जाता था | महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कारों के वितरण के दौरान माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का संबोधन -

गौरवं प्राप्यते दानात् न तू वितस्य सञ्चयात |
स्थितिरुच्चै: पयोदानां पयोधीनामध: स्थिति: ||

अर्थात् धन दान करने से सम्मान मिलता है, ना कि उसे जमा करके | जल का त्याग करने से बादलों को ऊंचा स्थान मिलता है, जबकि जल का संग्रह करने से महासागरों को नीचा स्थान मिलता है |

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात् सीएसआर एक उभरती हुई व्यवसायिक प्रथा है, जो कंपनी के व्यवसाय मॉडल में सतत विकास को शामिल करती हैं | इसका सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है |

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात् सीएसआर इस विचार को संदर्भित करता है, कि किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों जैसे- संस्थापकों, निवेशकों, ऋण दाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वहां के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व को निभाने से हैं |

1.2 . सीएसआर क्या है ? -

भारत में सीएसआर शब्द या अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 का परिणाम है | सर्वप्रथम भारत राज्य ने कानून बनाकर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात् सीएसआर को अनिवार्य बनाया | सीएसआर अवधारणा का प्रचलन तो लगभग सभी देशों में है, लेकिन इसे कानून द्वारा अनिवार्यता का रूप सर्वप्रथम भारत ने ही दिया है | अब प्रश्न यह है, कि कौन से सार्वजनिक या निजी उद्यम सीएसआर के दायरे में आते हैं, इसका निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में किया गया है -

- किसी कंपनी या उद्यम का 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की कुल संपत्ति या 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का टर्नओवर या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड रुपए या उससे अधिक का शुद्ध लाभ हो, इनमें से किसी एक शर्त को पूरा करने वाले उद्यम/कंपनी को 3 वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर के रूप में खर्च करना होगा |

2. साहित्य की समीक्षा (Review of literature) :

- सुशमा दुहान ने अपने शोध ग्रंथ **'इंपैक्ट ऑफ़ सीएसआर स्पेंडिंग एंड सीएसआर डिस्क्लोजर ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस: ए स्टडी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया' (2019)** में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र में सीएसआर खर्चों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया | शोध का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में सीएसआर खर्चे के लिए विनियामक अनुपालन का विश्लेषण करना और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय उपलब्धियां और सीएसआर खर्च का तुलनात्मक अध्ययन करना |
- बबिता कुंदु ने अपने शोध ग्रंथ **'एन इंपीरिकल स्टडी ऑफ सीएसआर प्रैक्टिसेज इन इंडिया इन चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो एंड इट्स इंपैक्ट ऑन कंपनीज प्रोफेबिलिटी' (2018)** में बदलते वैश्विक परिदृश्य में सीएसआर गतिविधियों का कंपनियों के शुद्ध लाभ पर प्रभाव को जानने का अध्ययन किया | सरकारी और निजी कंपनियों के सीएसआर गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया |
- हेमंत कुमार ने अपने शोध ग्रंथ **'सोशल वर्क एंड सीएसआर: ए स्टडी ऑफ़ पटना डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज' (2018)** में समाज सेवा और सीएसआर के मध्य उद्देश्य कार्यों को लेकर अंतर्संबंधों का वर्णन किया है |
- कृति कपूर ने अपने शोध ग्रंथ **'कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट: ए क्रिटिकल लीगल स्टडी इन इंडियन पर्सपेक्टिव' (2018)** में कंपनियों के सीएसआर गतिविधियों का सतत धारणीय विकास लक्ष्यों के साथ अध्ययन किया । प्रस्तुत शोध प्रबंध में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में सीएसआर गतिविधियों की प्रभावशीलता का वर्णन है ।

4. Research Design :

4.1. *उद्देश्य (Objects)*

a. निजी उपक्रमों के सीएसआर कार्यक्रमों के शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान को जानना |
b. निजी एवं सार्वजनिक उपक्रमों के सीएसआर खर्च का सरकारी बजट के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना |

4.2. आंकड़ों और सूचनाओं के संकलन के स्रोत एवं विधियां

यद्यपि विषय/घटना/विचार की पूर्णता/सत्यता के लिए तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण साधन है | शोध जर्नल के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं की प्राप्ति द्वितीय स्रोतों से की जाएगी | द्वितीयक स्रोत से अभिप्राय प्रकाशित एवं अप्रकाशित पर लेखों से हैं |

यह शोध जर्नल अर्थात् आलेख मूलत वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है |

4.3 अध्ययन क्षेत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 द्वारा स्थापित सीएसआर अवधारणा से रोल बैक ऑफ द स्टेट अर्थात् पुनश्च: राज्य की सार्थकता द्वितीयक आंकड़ों से साबित करने का प्रयास किया गया है | यही शोध आलेख की परिकल्पना थी | द्वितीयक आंकड़ों का संकलन मुख्यतः बजट और केपीएमजी ऑन सीएसआर रिपोर्ट से किया गया |

शोध आलेख में मुख्यतः तुलनात्मक अध्ययन से परिकल्पना को साबित किया गया | यह तुलनात्मक अध्ययन सन् 2014-15 व 2018-19 में सीएसआर और बजट अर्थात् सार्वजनिक खर्च के संबंध में किया गया | यद्यपि सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से केवल पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सीएसआर खर्च एवं बजट खर्च के बीच द्वितीय आंकड़ों का संकलन किया गया |

2014-2015 CSR Expenditure	**2014-2015 Govt. Budget Expenditure**
Environment - 559.4 Cr	Environment - 2256 Cr
Health & Family Welfare - 1343.7 Cr	Health & Family Welfare - 35163 Cr
Education - 1248.5 Cr	Education - 82771 Cr

2018-2019 CSR Expenditure	**2018-2019 Govt. Budget Expenditure**
Environment - 700 Cr	Environment - 2675.42 Cr
Health & Family Welfare - 2183 Cr	Health & Family Welfare - 52800 Cr
Education - 2775 Cr	Education - 85010.29 Cr

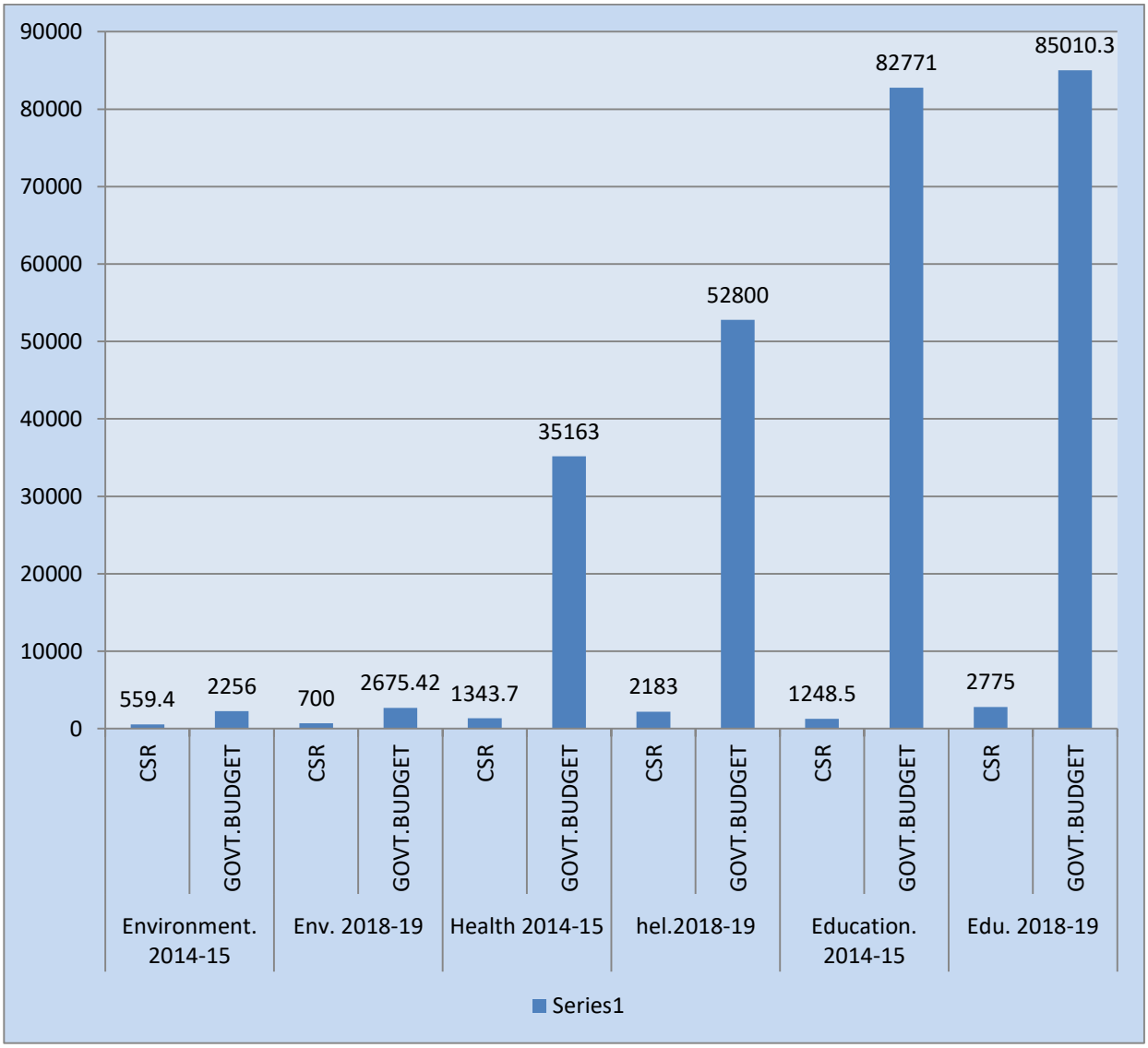

उपरोक्त सारणी 1.1 के अनुसार सन् 2014-15 में पर्यावरण क्षेत्र में सीएसआर खर्च 559.4 करोड़ हैं | यानी कि कुल सीएसआर खर्च का 8.61 प्रतिशत हैं | स्वास्थ्य क्षेत्र में सीएसआर खर्च 1343.7 करोड़, जो कुल सीएसआर खर्च का 20.70 प्रतिशत हैं | शिक्षा क्षेत्र में सीएसआर खर्चे 1248.5 करोड़, जो कुल सीएसआर खर्च का 19.23 प्रतिशत हैं |

तुलनात्मक स्वरूप सन् 2014-15 में बजट खर्च निम्न क्षेत्रों यथा पर्यावरण क्षेत्र में 2256 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र में 35163 करोड़ और शिक्षा क्षेत्र में 82771 करोड हैं | सामान्यत: पर्यावरण क्षेत्र में पर्यावरण तथा वन खर्च को शामिल किया गया | जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण खर्च, और शिक्षा क्षेत्र में स्कूल शिक्षा, साक्षरता एवं उच्च शिक्षा खर्च को बजट में शामिल किया गया है |

इस प्रकार सन् 2014-15 में पर्यावरण क्षेत्र में सीएसआर खर्च पर्यावरणीय बजट खर्च का 24.79 प्रतिशत रहा, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में सीएसआर खर्च स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बजट खर्च का 3.82 प्रतिशत रहा और शिक्षा क्षेत्र में सीएसआर खर्च शिक्षा बजट खर्च का 1.50 प्रतिशत रहा |

यद्यपि कंपनी अधिनियम 2013 की अनिवार्य सीएसआर अवधारणा के तुरंत 2014-15 में केपीएमजी प्रतिवेदन अनुसार सीएसआर शर्तों के अनुरूप लगभग 100 कंपनियां ही चयनित थी | जबकि 2018-19 में लगभग 300 कंपनियां शर्तों के अनुरूप चयनित हो गई हैं |

उपरोक्त सारणी 2.1 के अनुसार सन् 2018 19 वित्तीय वर्ष में पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में सीएसआर खर्च और बजट खर्च के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन अर्थात् विवरण निम्न है सन् 2018-19 में पर्यावरणीय क्षेत्र में सीएसआर खर्च 700 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र में 2183 करोड़ एवं शिक्षा क्षेत्र में 2775 करोड़ है | इस प्रकार बजट खर्च 2018-19 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु क्षेत्र में 2675.42 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र में 52800 करोड़, और शिक्षा क्षेत्र में 85010.29 करोड़ हैं |

अतः सन् 2018-19 में तुलनात्मक स्वरूप पर्यावरणीय क्षेत्र में सीएसआर खर्च पर्यावरणीय बजट खर्च का 26.16 प्रतिशत रहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सीएसआर खर्च स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बजट खर्च का 4.13% रहा, वहीं शिक्षा क्षेत्र में सीएसआर खर्चे शिक्षा बजट खर्च का 3.26 प्रतिशत रहा |

शोध के परिकल्पनानुसार सन् 2014-15 में पर्यावरण क्षेत्र में सीएसआर खर्च बजट खर्च का 24.79% था | वह बढ़कर सन् 2018-19 में 26.16 प्रतिशत हो गया, जो कि 1.37% की वृद्धि रही | स्वास्थ्य क्षेत्र में सन् 2014-15 में सीएसआर खर्च बजट खर्च का 3.82% था | वह बढ़कर 2018-19 में 4.13% हो गया, जो कि 0.31 प्रतिशत की वृद्धि रही | शिक्षा क्षेत्र में सन् 2014-15 में सीएसआर खर्च बजट खर्च का 1.50% था | वह बढ़कर 2018-19 में 3.26% हो गया, जो कि 1.76 प्रतिशत की वृद्धि रही |

अतः इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, कि सन् 2014-15 में सरकार का पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट खर्च 120190 करोड रुपए था | जबकि सीएसआर खर्चा 3151.6 करोड रुपए, जो कि 2.62% था | वही सन् 2018-19 में सरकार का बजट पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में 140485.74 करोड रुपए हैं, जबकि सीएसआर खर्च 5658 करोड़ रुपए हैं, जो कि 4.02 प्रतिशत हैं | इस प्रकार सीएसआर खर्च 1.4 प्रतिशत बढ़ा |

5. निष्कर्ष (Conclusion) :

अतः सरकारी बजट के साथ सीएसआर खर्च का तुलनात्मक अध्ययन से भविष्य में सरकार के लिए यह चिंतन का विषय बनेगा | यद्यपि ऐसे ही सीएसआर खर्च बढ़ता रहा, तो सतत विकास लक्ष्यों को कम समय में प्राप्त किया जा सकेगा और राजस्व घाटा को भी कम किया जा सकेगा | इस शोध कार्य से निजी उपक्रमों के जन कल्याण में सहभागिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के संदर्भ में चिंतन एवं सूचना प्राप्ति में सहायता मिलेगी | शोध जर्नल की परिकल्पनानुसार सीएसआर की वजह से रोल बैक ऑफ द स्टेट की अवधारणा सही साबित हुई | भविष्य में यही कल्पना की जाती है, कि सीएसआर के माध्यम से निजी क्षेत्रों का सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान बढ़ेगा | जिससे सतत विकास लक्ष्यों की त्वरित प्राप्ति, सरकारी बजट को अन्य क्षेत्रों में खर्च करने एवं राजस्व घाटा को कम करने जैसे कई लाभ प्राप्त होंगे |

संदर्भ ग्रंथ सूची (References) :

1. सुरेंद्र कटारिया, कार्मिक प्रशासन, आर बी एस ए पब्लिशर्स, जयपुर, 2014, पेज- 28.
2. सुरेंद्र कटारिया, शशि इंदुलिया, लोक प्रशासन, मलिक एंड कंपनी, जयपुर, 2003-04, पेज-17.
3. अमित श्रीवास्तव, सुदृढ़ राजनीतिक प्रणाली, ओमेगा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2018.
4. राजा बनर्जी, दिनेश जे ए, इवोल्यूशन आफ सीएसआर इन इंडिया, जाना फाउंडेशन, बेंगलुरु
5. सुशमा दुहान, इंपैक्ट ऑफ़ सीएसआर स्पेंडिंग एंड सीएसआर डिस्क्लोजर ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस : ए स्टडी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, एमिटी यूनिवर्सिटी, हरियाणा, 2019.
6. बबिता कुंदु, एन इंपीरियल स्टडी ऑफ सीएसआर प्रैक्टिसेज इन इंडिया इन चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो एंड इट्स इंपैक्ट ऑन कंपनीज प्रोबेबिलिटी, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आगरा, 2018.

7. हेमंत कुमार, सोशल वर्क एंड सीएसआर: ए स्टडी ऑफ़ पटना डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज, पटना यूनिवर्सिटी, पटना, 2018
8. कृति कपूर, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास : भारतीय दृष्टिकोण में एक आलोचनात्मक वैधानिक अध्ययन, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, 2018.
9. http:://prsindia.org/budget/parliament/demand-for-grants-2020-21
10. indiabudget.gov.in
11. india's csr reporting survey2015, kpmg(2015)
12. india's csr reporting survey2019, kpmg(2020), (kpmg.com/in)
13. mca.gov.in